प्रस्ताव का राज्य क्रम संख्या-

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या .....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-वाराणसी

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	वाराणसी
	(3) वन प्रभाग	वाराणसी वन प्रभाग
	(3) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन का क्षेत्र(हेक्टेयर में)	4.1525
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित।
	(6) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)	संलग्न है।
	(7) हरियाली का घनत्व	0.3
	(8) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त नो	भू-क्षरण की दृष्टि से प्रस्तावित क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की वन सीमा	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित वन का भाग है।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ) तो क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय।	प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण स्थल से 10 किमी0 के परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी स्थित नहीं है।
	(11) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं।

	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता, परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	4.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र के आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा किया जाना है। वृक्षारोपण का प्रस्ताव संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्मित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र के आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत	संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	14.70250
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम-7 (11, 12) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए।	संलग्न है।

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	152674 हे0
	(2) जिले का वन क्षेत्र	551.20 हे0 (137.80किमी0 संरक्षित वन भूमि)
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	40.4883 हे0, 12 मामले
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	45.72 हे0
	क. दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित भूमि	25.37 हे0
	ख. वन भूमि पर	20.35 हे0
	5. प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति (दिनांक-30.09.2017 तक)	45.72 हे0
	क. वन भूमि पर	25.37 हे0
	ख. वनेत्तर भूमि पर	20.35 हे0
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण हेतु संरक्षित वन भूमि का उपयोग परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथिः- 23.08.2022

स्थानः- वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

उपप्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
काशी रेन्ज
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक-21.07.2022 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी एवं वन विभाग, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जनपद वाराणसी में वाराणसी आजमगढ मार्ग पर पाण्डेयपुर से रिंग रोड तक चैनेज-0.000 से 4.1000 के मध्य 04 लेन में कुल 04.1525 हे0 संरक्षित वन भूमि पर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य एवं इस भूमि पर स्थित 262 वृक्षों बायीं एवं दायी पटरी पर प्रभावित हो रहे हैं। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०खं० लो०नि०वि०
वाराणसी

~~क्षेत्रीय वनाधिकारी~~
~~काशी रेंज।~~

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी

~~क्षेत्रीय वन अधिकारी~~
काशी रेन्ज
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

<u>वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पाण्डेयपुर चौराहा से रिंग रोड तक चौड़ीकरण के साथ-साथ मार्ग के किनारे हरित पट्टी हेतु 03-03 मीटर दोनों पटरी पर भूमि उपलब्ध कराया जानाः-</u>

वाराणसी जनपद में विकास कार्यों/मार्ग चौड़ीकरण में काफी वृक्षों का पातन किया जाता है। वाराणसी जनपद सघन शहरीकरण का क्षेत्रं है। शहरी क्षेत्रों की सीमा बढ़ने के साथ-साथ वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वाराणसी जनपद में वन विभाग के नियंत्राधीन आरक्षित वन भूमि न होने के कारण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का ही विकल्प है। मार्ग चौड़ीकरण होने वाले मार्गों पर हरित पट्टी हेतु भूमि उपलब्ध कराना सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत वाराणसी जनपद के भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में अति प्रदूषित शहरों में चिन्हित वाराणसी जनपद भी है। साथ ही साथ यह वृक्ष पातन एवं मार्ग के किनारे वृक्षारोपण स्थल चयनित न होने के कारण वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रभावित होता है जिससे हरित पट्टी/ग्रीन मफलर जैसे क्षेत्र नहीं बन पाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थिकीय संतुलन हेतु वृक्षारोपण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वाराणसी शहर एवं जनपद वासियों को शुद्ध हवा प्राप्त होता रहे इस हेतु चौड़ीकरण में प्रभावित वृक्षों के पातन के उपरान्त चौड़ीकरण वाले मार्ग के किनारे 03-03 मीटर दोनों पटरी पर हरित पट्टी वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना लो.नि.वि. का उत्तरदायित्व होगा।

उपप्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी